

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है :-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या-3, पाली	पाली	पाली

नोट:- उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से
29/04/2026
(राघवेंद्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/.....841

Date: 01/05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Pali
3. The Chief Judicial Magistrate, Pali
4. The Concerned Court through District Judge, Pali
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


01/05/2026
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.01(01)न्याय/2026


जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है :-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, कुचामन सिटी	डीडवाना-कुचामन	कुचामन सिटी

नोट:- उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

(राजेश चोपड़ा)
प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/842

Date: 01/05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Deedwana
3. The Chief Judicial Magistrate, Deedwana
4. The Concerned Court through District Judge, Deedwana
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


01/05/2026
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेरगढ, जिला जोधपुर	जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र	शेरगढ

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/843.....

Date:01./05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Jodhpur District
3. The Chief Judicial Magistrate, Jodhpur District
4. The Concerned Court through District Judge, Jodhpur District
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026


::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागोद, जिला कोटा	कोटा	सागोद

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,



(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/844.....

Date:01./05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Kota
3. The Chief Judicial Magistrate, Kota
4. The Concerned Court through District Judge, Kota
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.



REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौरीमन्ना	बाडमेर	धौरीमन्ना

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
29/04/2026
(राघवेंद्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/845.....

Date:01./05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Barmer
3. The Chief Judicial Magistrate, Barmer
4. The Concerned Court through District Judge, Barmer
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा	कोटा	इटावा

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,


(राघवेंद्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/.....846

Date:01./05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Kota
3. The Chief Judicial Magistrate, Kota
4. The Concerned Court through District Judge, Kota
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाट्टश्याम	सीकर	खाट्टश्याम

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,


(राघवेंद्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/.....847

Date:01./05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Sikar
3. The Chief Judicial Magistrate, Sikar
4. The Concerned Court through District Judge, Sikar
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


01/05/2026

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर	चुरु	तारानगर

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(राघवेंद्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/.848.....

Date: 01/05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Churu
3. The Chief Judicial Magistrate, Churu
4. The Concerned Court through District Judge, Churu
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


01/05/2026
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026


::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमराणा	कोटपूतली-बहरोड	नीमराणा

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,



(राघवेंद्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/849.....

Date:01./05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Kotputli
3. The Chief Judicial Magistrate, Kotputli
4. The Concerned Court through District Judge, Kotputli
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


01/05/2026
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन वार्दों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा जिसकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां	अपर जिला न्यायाधीश, किशनगंज	किशनगंज

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,



(राजेश चहल)

प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/850.....

Date: 01/05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Baran
3. The Chief Judicial Magistrate, Baran
4. The Concerned Court through District Judge, Baran
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


01/05/2026
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा जिसकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर	अपर जिला न्यायाधीश, रूपवास	रूपवास

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,


(राघवेंद्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/851.....

Date: 01/05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Bharatpur
3. The Chief Judicial Magistrate, Bharatpur
4. The Concerned Court through District Judge, Bharatpur
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन वार्दों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा जिसकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा	अपर जिला न्यायाधीश, जहाजपुर	जहाजपुर

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से.



(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/.....852

Date: 01/05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Bhilwara
3. The Chief Judicial Magistrate, Bhilwara
4. The Concerned Court through District Judge, Bhilwara
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है। उक्त न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है। उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश भी नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण), निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़	निम्बाहेडा	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1 व 2, निम्बाहेडा की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता अनुसार

राज्यपाल के आदेश से,



(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/853.....

Date: 01/05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Chittorgarh
3. The Chief Judicial Magistrate, Chittorgarh
4. The Concerned Court
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.


01/05/2026
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 29.04.2026

::अधिसूचना::

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है। उक्त न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है। उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश भी नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण), बीकानेर	बीकानेर	अपर जिला न्यायाधीश नोखा, खाजूवाला व डुंगरगढ़ की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता को छोड़कर समस्त राजस्व बीकानेर / (जिला न्यायाधीश बीकानेर की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता अनुसार)

राज्यपाल के आदेश से

(राघवेंद्र कोछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/06/2026/.854....

Date: 01/05/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur (Registrar (CPC), RHC, Bench Jaipur with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Bikaner
3. The Chief Judicial Magistrate, Bikaner
4. The Concerned Court
5. AOJ (Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt.-I/ SC Estt.-II/ HC Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Bill/ Computer Cell.

REGISTRAR (RULES)